

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./3235/2004/नागौर रमेशकुमार बनाम रमेश कुमार</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p style="text-align: center;">एकलपीठ श्री सुनील कुमार शर्मा, सदस्य</p> <p>उपस्थित श्री पाबूदान सिंह, अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री गोविन्द शर्मा, अधिवक्ता, अप्रार्थी</p> <p style="text-align: center;">निर्णय दिनांक 18.12.2020</p> <p>प्रार्थीगण ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत रजास्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा पारित पारित निर्णय दिनांक 16-04-2004 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके अनुसार अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थनापत्र पर पारित निर्णय 08-05-1998 यथावत रखते हुए अपील को खारिज किया गया है।</p> <p>हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों का अवलोकन किया।</p> <p>प्रस्तुत प्रकरण में योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी ने हमारे समक्ष प्रार्थीगण की निगरानी को स्वीकार किये जाने पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया, अधिवक्ता अप्रार्थी के इस कथन से अधिवक्ता प्रार्थीगण भी सहमत है। चूंकि दोनों पक्ष अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में पारित निर्णयों को निरस्त करवा कर प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार करने में अपनी सहमति व्यक्त कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत निगरानी प्रकरण में कोई विवाद शेष नहीं रहने से प्रस्तुत निगरानी को इसी स्तर पर स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय को निरस्त जाना</p>		

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./3235/2004/नागौर रमेशकुमार बनाम रमेश कुमार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>न्यायोचित प्रतीत होता है।</p> <p>परिणामतः उभयपक्ष की योग्य अधिवक्तागण की सहमति के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16-04-2004 एवं सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, नावां द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08-05-1998 को निरस्त किया जाता है।</p> <p>निर्णय प्रति के साथ नियमानुसार अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख भिजवाया जावे।</p> <p>पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।</p> <p>निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">(सुनील कुमार शर्मा) सदस्य</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./3235/2004/नागौर रमेशकुमार बनाम रमेश कुमार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए